देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2021/2528-A दिनांक : 18 NOV 2021

//अधिसूचना//

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सत्र **2022-23** में केवल विधि संकाय के अन्तर्गत संचालित होने वाले एलएलबी.(ऑनर्स)/बी.ए.एलएल.बी.(ऑनर्स)/बी.कॉम.एलएल.बी.(ऑनर्स)/बी.बी.ए.एलएल.बी.(ऑनर्स)/एलएल.एम. पाठ्यकमों की नवीन सम्बद्धता/अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण/पूर्व वर्षो से संचालित पाठ्यकमों की निरंतरता हेतु बी.सी.आई. नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण दस्तावेज (आवश्यक प्रपत्रो) के साथ **MP Online** के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क, **18 %** जी.एस.टी. सहित जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–

क्र.	विषय	विश्वविद्यालय में **MP Online** के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
1	महाविद्यालयों में विधि संकाय के अन्तर्गत संचालित होने वाले समस्त पाठ्यकमों की सत्र् 2022–23 में अस्थाई सम्बद्धता /नवीनीकरण /निरंतरता /नवीन सम्बद्धता प्राप्त किये जाने संबंधी कार्यवाही हेतु आवेदन के साथ शुल्क जमा करने की तिथि।	**30 नवम्बर 2021**
2	25 % अतिरिक्त विलम्ब शुल्क सहित **(with late fees)** आवेदन करने की अंतिम तिथि	**05 दिसम्बर 2021**

महाविद्यालय **MP Online** के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि पश्चात् तीन दिवस के अन्दर सम्पूर्ण आवेदनपत्र **(PART-A)** मय संलग्नको/प्रस्तुत दस्तावेजों को प्राचार्य/संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर, महाविद्यालय की सील सहित तालिकानुसार फ्लेग लगाकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सत्यापित नहीं होने की स्थिति में महाविद्यालय के आवेदन पर विचार नहीं जावेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय/संस्था की होगी।

यदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्धता/नवीनीकरण एवं बी.सी.आई. की अनुमति प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था की होगी एवं ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं की जावेगी। इसमें विश्वविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी । ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की भी सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी ।

ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा नहीं करने पर पूर्व वर्षो से संचालित पाठ्यकमों की अस्थाई सम्बद्धता/ नवीनीकरण/निरंतरता प्रकरण पर कार्यवाही नही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय/संस्था की होगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.कं. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2021/2528-A दिनांक : 18 NOV 2021

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य/संचालक, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय विधि महाविद्यालय, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, खरगोन, खण्डवा, बडवानी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, मोती तबेला केम्पस इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।